रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1041] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939
No. 1041] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2017

का.आ. 1173(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2052, (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुक्षाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को तारीख 22 सितम्बर, 2015, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेप और सुक्षाव अधिसूचना के प्रत्युतर में केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

और, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य, पूर्व देशांतर 73^{0}2' से 73^{0}30' उत्तर अक्षांश 25^{0}00' से 25^{0}40' के बीच अरावली में स्थित 475.235 वर्ग किलोमीटर में फैला है, राजस्थान का एक सबसे बड़ा अभयारण्य है और तीन राजपत्र जिलें अर्थात् अजमेर, पाली और राजसमन्द के भीतर आता है और राजस्थान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के उपबंधों के अधीन राजस्थान सरकार अधिसूचना सं. एफ II (56) रेव ग्रुप- 8/82, तारीख 28 सितम्बर, 1983 द्वारा अधिसूचित है;

और, उक्त अभयारण्य के वन चैंपियन एवं सेठी वर्गीकरण के अनुसार शुष्क उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत आते है। विविध उप प्रकार तथा उनके सहायक इडाफिक और क्रमिक प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन के रूप से जाने जाते है। मुख्य वृक्ष प्रजातियों *एनोगियासिस पेन्डूला, बोसविलिया सेराटा, बूटिया, मोनोस्पृमा, जिजयाफ़्स मूरीवियाना,* और *अकाकिया केटिचू* इत्यादि हैं;

और, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में विविध प्रकार के वनस्पति एवं जीवजन्तु और विविध आश्रयस्थल है। रीछ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगल बिल्ली, भेड़िया, अजगर, चिंकारा, ग्रे जंगल मुर्गी इत्यादि प्रमुख जीव-जन्तु प्रजातियां पाई जाती है;

और, अत्यधिक चराई, पेंड की कमी से भूमि अपरदन से पर्यावरण में अत्यधिक गिरावट के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस लिए अभयारण्य में प्राकृतिक संसाधनों तथा वनस्पतियों एवं जीव-जंतु संकटापन्न् स्थित में आ गये है;

और, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन दक्षिण दिशा को छोड़कर टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक है और इसका विस्तार 202.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, दक्षिणी ओर की तरफ जहां वन्यजीव अभयारण्य एक अन्य संरक्षित क्षेत्र, फुलवारी की नाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जो बदले में कुंभलगढ़ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा विवरण **उपाबंध I** पर दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर और जीपीएस निर्देशांकों के साथ **उपाबंध II** पर उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमन्द जिलों में 217 ग्रामों तक फैला हुआ है |

(4) टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ सीमा के जीपीएस निर्देशांक विवरण और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन **उपाबंध III** पर उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से और राज्य में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि ;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना द्वारा उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा। मानचित्र के साथ आंचलिक महायोजना में स्पष्ट रूप से क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 7 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख)परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन,

पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(14) **औद्योगिक इकाईयां -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी।

(15) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख)कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(16) यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रवृत करने में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध होंगी । तथापि, वास्तविक स्थानीय निवासियों की देशी आवश्यकताओं के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना विद्यमान विनियमों के अनुसार अनुज्ञात होंगे । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा : परंतु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी पर्यवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा ।
8.	मत्स्य पालन ।	ओरयी और टोड़गढ रावली बांध सहित जल नकायों में मछली पकडना पर पूर्ण रोक रहेगी।
9.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
11.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन

		के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी । (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।
13.	भू-जल का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन स्थानीय लोगों के पीने का पानी या कृषि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विनियमित होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	विद्युत और दूरसंचार टावरों और बिछाई गई केबलों और अन्य बुनियादी ढाँचों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और भूमिगत केबलों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा ।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे ।
25.	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	वायु प्रदूषण।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।
27.	ध्वनि प्रदूषण।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों

28.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
29.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपाबंधों के अनुसार होगा।
30.	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मत्स्य पालन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्निकृत भूमि या जंगलों या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्

(i) जिला कलेक्टर, राजसमन्द और पाली -अध्यक्ष;

(ii) निम्नलिखित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी: लोक निर्माण विभाग, खनन, सिंचाई, पर्यटन, पुलिस, नगर परिषद, उद्योग, यूनी ट्रस्ट आफ इंडिया -सदस्य;

(iii) प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, -सदस्य;

(iv) माननीय वन्यजीव वार्डन, राजसमन्द -सदस्य;

(v) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(vi) परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(vii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(viii) उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द/पाली -सदस्य;

(ix) खंड विकास अधिकारी, राजसमन्द/पाली -सदस्य;

(x) उप वन संरक्षक, पाली/राजसमन्द/अजमेर -सदस्य;

(xi) उप मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजसमन्द सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन (1) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रवृत देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा.सं. 25/53/2015-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध – I

पारिस्थितिक संवेदी जोन टोडगढ़ रावली की सीमा का विवरण

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाएं:**

(i) उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन, अभयारण्य कि बाह्य सीमा से 1 किलोमीटर के क्षेत्र सिवाय दक्षिणी दिशा के जहां इसकी सीमा कुंभलगढ़ अभयारण्य से समान सीमा बनाती है तक होगा

उपाबंध II

जीपीएस निर्देशांकों सहित टोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

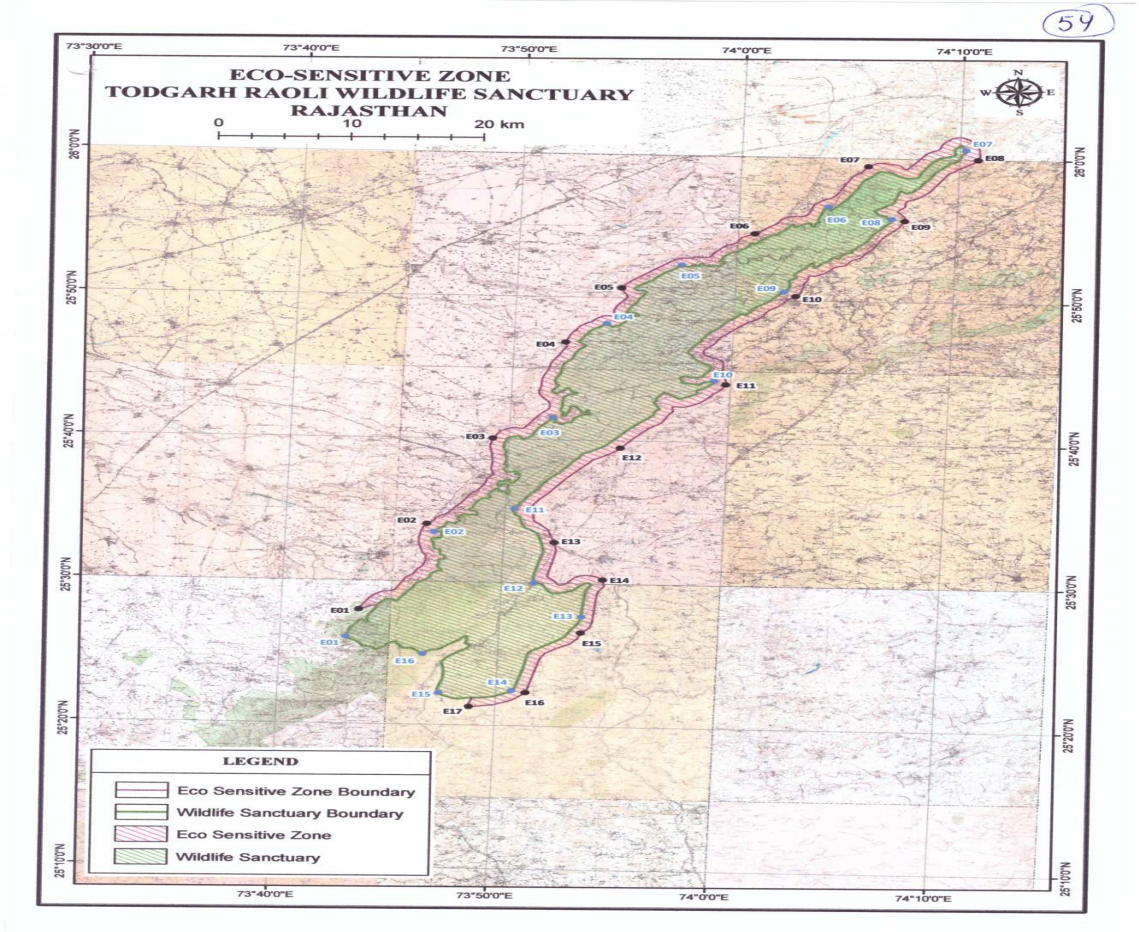

उपाबंध-III क

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ सीमा के जीपीएस निर्देशांकों के मुख्य बिन्दु

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के जीपीएस निर्देशांकों के मुख्य बिन्दु

क्र.सं	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	इ01	73° 43.008' पू	25°26.053' उ
2	इ 02	73° 46.821' पू	25°33.485'उ
3	इ 03	73° 51.953' पू	25°41.573' उ
4	इ 04	73° 54.206' पू	25°48.199' उ
5	इ 05	73° 57.509' पू	25°52.364' उ
6	इ 06	74° 4.086' पू	25°56.596' उ
7	इ 07	74° 10.292'पू	26°0.676' उ
8	इ 08	74° 7.033'पू	25°55.787'उ

9	इ 09	74° 2.234'पू	25°50.607'उ
10	इ 10	73°59.228'पू	25°44.290'उ
11	इ 11	73°50.411'पू	25°35.183'उ
12	इ 12	73°51.473'पू	25°30.001'उ
13	इ 13	73°51.473'पू	25°27.692'उ
14	इ 14	73° 50.706'पू	25°22.462'उ
15	इ 15	73°47.385'पू	25°22.240'उ
16	इ 16	73°46.575'पू	25°24.952'उ

उपाबंध-III ख

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के जीपीएस निर्देशांकों के मुख्य बिन्दु

क्र.सं	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	इ 01	73° 43.547' पू	25°27.983' उ
2	इ 02	73° 46.450' पू	25°34.030'उ
3	इ 03	73°49.278' पू	25°40.057' उ
4	इ 04	73° 52.358' पू	25°46.855' उ
5	इ 05	73° 54.803' पू	25°50.705' उ
6	इ 06	74° 0.765' पू	25°54.629' उ
7	इ 07	74° 5.836'पू	25°59.452' उ
8	इ 08	74° 10.879'पू	25°59.988'उ
9	इ 09	74° 7.611'पू	25°55.669'उ
10	इ 10	74°2.795'पू	25°50.310'उ
11	इ 11	73°59.786'पू	25°44.057'उ
12	इ 12	73°55.112'पू	25°39.519'उ
13	इ 13	73°52.320'पू	25°32.865'उ
14	इ 14	73° 54.624'पू	25°30.304'उ
15	इ 15	73°53.751'पू	25°26.571'उ
16	इ 16	73°51.364'पू	25°22.348'उ
17	इ 17	73°48.802'पू	25°21.311'उ

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले टोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, के ग्रामो के सूची

क्र.सं	ग्रामों के नाम	क्र.सं	ग्रामों के नाम
1	धनावती का गुदा नगवी	41	डोल जी का खेरा
2	बरजलिया गुदा	42	जीरन
3	भागावर	43	सोलकिया का गुदा
4	बोरमिदा	44	सासारियास
5	रावतो का गुदा	45	मंधावारा
6	मयाला गुदा	46	भागलपुरा
7	रधजालर	47	कुबनथाल
8	उपारली निम्बारी	48	मिलियो का खेडा
9	निचाली निम्बारी	49	पीताखेडा
10	तेलपुरा	50	चुन्दी
11	सिन्चियावास	51	तरका
12	बरातो का गुदा	52	कल्यानपुर
13	सारन	53	चोकरिया
14	धाल (फुलद)	54	जोजावर
15	गागा का गुदा II	55	व्यापारी
16	हलावत	56	सुर सिह का गुदा
17	राजी का गुदा	57	कन्तलिया
18	जूनी फूलाद	58	गोपीनाथ का गुदा
19	गानवत	59	खखरिया
20	करवारा	60	कयावला
21	बासोत	61	समरिया
22	धेलपुरा	62	कोट सोलकियन
23	भगोरा	63	नयागांव
24	गुदा भोपत	64	कोलार
25	करनाल	65	पनोता
26	भोगाला	66	संसारी I
27	गागा का गुदा I	67	संसारी II
28	सादा कि धानी	68	भागोल
29	दिगोत	69	मगहानला
30	वरदियामाली	70	सुर सिह का गुदा
31	सिमाल	71	कमले
32	नयी फूलाद	72	कमली
33	सिरयारी	73	आसन
34	जिनजरदी	74	कमलीघाट
35	जेरकिया	75	बुधवास
36	माता जी का खेरा	76	सबदरी
37	ओम जी का गुदा	77	चितराई
38	सरबरी बी	78	चरदा
39	पीतमपुर	79	तलवार
40	वीरावास	80	सिमर

क्र.सं.	ग्रामों के नाम	क्र.सं.	ग्रामों के नाम
81	रघुनाथपुर	128	थोलिया
82	तेगी	129	टोडगढ़
83	सुलिया	130	दूधलिया
84	रत्रा का गुदा	131	मलोनो कि बेर
85	तोकार	132	मदरिया
86	ननाना	133	बोरी
87	तपोलो का खेडा	134	रामपुरा
88	उमराज	135	बाराल
89	बस्सी	136	कालाखेरी
90	गोदलिया	137	चिरयाबाद
91	नरायण जी बीरा	138	जवाजा
92	बुजारेल	139	शिवनगर
93	रोधियाना	140	देवखेडा
94	नगरिया	141	खेरानबारा
95	क्षवण	142	खाखदा
96	रनाता भगवानपुरा	143	समदारिया
97	सातूखेडा	144	रीदवास
98	भगमल	145	जूनापिस(धाकि)
99	बामलहेरा	146	गजनाई
100	देवलफतह	147	खिरईया
101	खोरमल	148	खरनी खेडा
102	मथवावारा	149	बलातो का तालाब
103	हलेला	150	हरियामली
104	नरदास का गुदा	151	खेरखेडा
105	बियाना	152	गुदासयाम
106	देगाना	153	गुदाचुतार
107	किशनपुरा	154	बडागुदा
108	दरदरादा	155	गुदारामसिह
109	मदवार	156	हिरवास
110	छतरपुर	157	सम्पा
111	कचबली	158	पिप्ली बावड़ी
112	सिरोला	159	पल्लारी
113	पिपली	160	बिन
114	छेला	161	बनजारा
115	मोनागुदा	162	मिवासा
116	बगाना	163	गणेशपुरा
117	बरजल	164	घोलाघाटा
118	वाली	165	बाराचराहट
119	लखागुडा	166	गोगेल
120	तोरिया	167	लूनेटा
121	बगाद	168	बाराखेडा
122	अंतालिया	169	अरनाली
123	कनियाना	170	कंकरोद
124	खेरजामरा	171	बरखन
125	टेक का छोरा	172	अहसन
126	जुथार	173	देवलता
127	धोलिया	174	भगवानपुरा

क्र.सं.	ग्रामों के नाम
175	निम्बोराखेडा
176	नईकाला
177	नईखुर्द
178	पुवरिया
179	केलवास
180	कनकहिजारी
181	कनोत का बेर
182	गुरजारगरमा
183	नदा
184	धरमतलाई
185	कुण्डल
186	कडिप्पा
194	लाबुरई
195	हिक्कन(कलाई)
196	हिक्कन का बारई
197	कलाईया
198	कहनपथ
199	बगरी
200	बेलपाना
201	सिरमा
202	कोट
203	सोभागपुरा
204	गोवल
205	चोकरी
206	देवाजी का गुदा
207	जवालिया
208	नाथजी का गुदा
209	नाथजी का गुदा
210	देवारो का गुदा
211	कितेला
212	कनकरिया
213	खेरा
214	बन्सा
215	गुदा भगवालन
216	बोरिया नदी
217	बालूपुरा

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2017

S.O.1173(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2052, dated September 22, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas**,** the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public dated September 22, 2015;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And Whereas, the Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary lying between $73^0$2' to $73^0$30' East Longitude and $25^0$00' to $25^0$40' North Latitudes and situated in the Aravallis is one of the largest Sanctuaries of Rajasthan having an area of 475.235 Sq kms and falls within three revenue districts viz. Ajmer, Pali and Rajasamand and notified vide Government of Rajasthan Notification No.F II (56) Rev-Group-8/82, dated 28th September, 1983 under the provisions of section18 (1) of the Rajasthan Wildlife Protection Act 1972.

And Whereas, the forest area of the said Sanctuary falls under the Dry Tropical Forests as per Champion and Seth's classification. The various sub types along with their subsidiary edaphic and serial types recognised are Tropical Dry Deciduous Forest, Northern Tropical Dry Deciduous Forest, Northern Tropical Dry Mixed Deciduous Forest. The major tree species are Anogeissus pendula, Boswellia serrata, Butea, monosperma, Zizyphus mauritiana, and Acacia catechu etc.

And Whereas, the Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary has a varied habitat and diversified fauna and flora. The Sloth Bear, Leopard, Hyena, Jungle Cat, Wolf, Python, Chinkara, Grey Jungle Fowl etc. are important faunal species present in this Sanctuary.

And Whereas, considerable adverse environment impact has been caused due to excessive degradation of the environment with excessive grazing, loss of tree cover soil erosion etc. and thereby endangering the natural resources of the said Sanctuary, and it's flora and fauna.

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now Therefore , in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to an extent of 1 kilometers from the boundary of Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 202.68 square kilometers with an extent of upto 1 kilometer from the boundary of Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary, except on the southern side side where the WLS shares its boundary with another Protected Area, Phulwari Ki Naal which in turn is connected to Kumbhalgarh sanctuary. The boundary description of said Zone is given in **Annexure-I.**

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes and GPS coordinates is appended as **Annexure II.**

(3) The Eco-sensitive Zone is spread across 217 villages falling in Ajmer, Pali and Rajasamand Districts of Rajasthan.

(4) The details of GPS coordinates of the points along the boundary of the Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment;
ii. Forest and Wildlife;
iii. Agriculture;
iv. Revenue;
v. Urban Development;
vi. Tourism;
vii. Rural Development;
viii. Irrigation and Flood Control;
ix. Municipal ;

x. Panchayati Raj ; and

xi. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring vide the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities. Such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps.

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under para 7:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b)Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment area plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up as part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. -

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Plastic Waste Management:-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management:-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial Units-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed be established within ESZ vide Central Pollution Board's categorization.

(15) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(16) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006, in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014, in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Use, production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
8.	Fishing.	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies including Orai & Todgarh Raoli dam.
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
10.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as

		applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
13.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws to meet the drinking water or agricultural requirement of locals.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Uses of Plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws. Efforts shall be made to recycle/re-use the treated effluent.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and Vehicular Pollution	Regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

27.	Noise pollution	Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986
28.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management.	Management of solid waste shall be as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986.
30.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
31.	Undertaking activities related to eco-tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.
38.	Agro Forestry	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) District Collector, Rajsmund and Pali -Chairman

(ii) District level officers of the following departments:

Public Work Department, Mining, Irrigation, Tourism, Police,

Municipal Council, Industry, Uni Trust of India -Members

(iii) Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board -Member

(iv) Hon.Wildlife Warden Rajasamand -Member

(v) Representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change,

Government of India -Member

(vi) An expert in the area of ecology and environment from a reputed institution

or university to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three year. -Member

(vii) A representative of Non-Government organisation working in the field of

	Environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three year	-Member
(viii)	Sub Divisional Officer Rajasamand/Pali	-Member
(ix)	Block Development Officer Rajasamand/Pali	-Member
(x)	Deputy Conservator of Forests, Pali / Rajsamand/Ajmer	-Member
(xi)	Deputy CF (WL), Rajasamand	-Member-Secretary

6. Terms of Reference: (1) The tenure of monitoring committee shall be for three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India, Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/53/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundaries description of Todgarh Raoli Eco-sensitive zone

1. **Boundaries of the proposed Eco-sensitive zone** :

(i) The said Eco sensitive zone covers the area of 1 kilometer wide strip from the outer boundary of the Sanctuary except the southern side where the boundary is common with the Kumbhalgarh sanctuary.

ANNEXURE-II

Map of Eco-Sensitive Zone of Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary with GPS coordinates

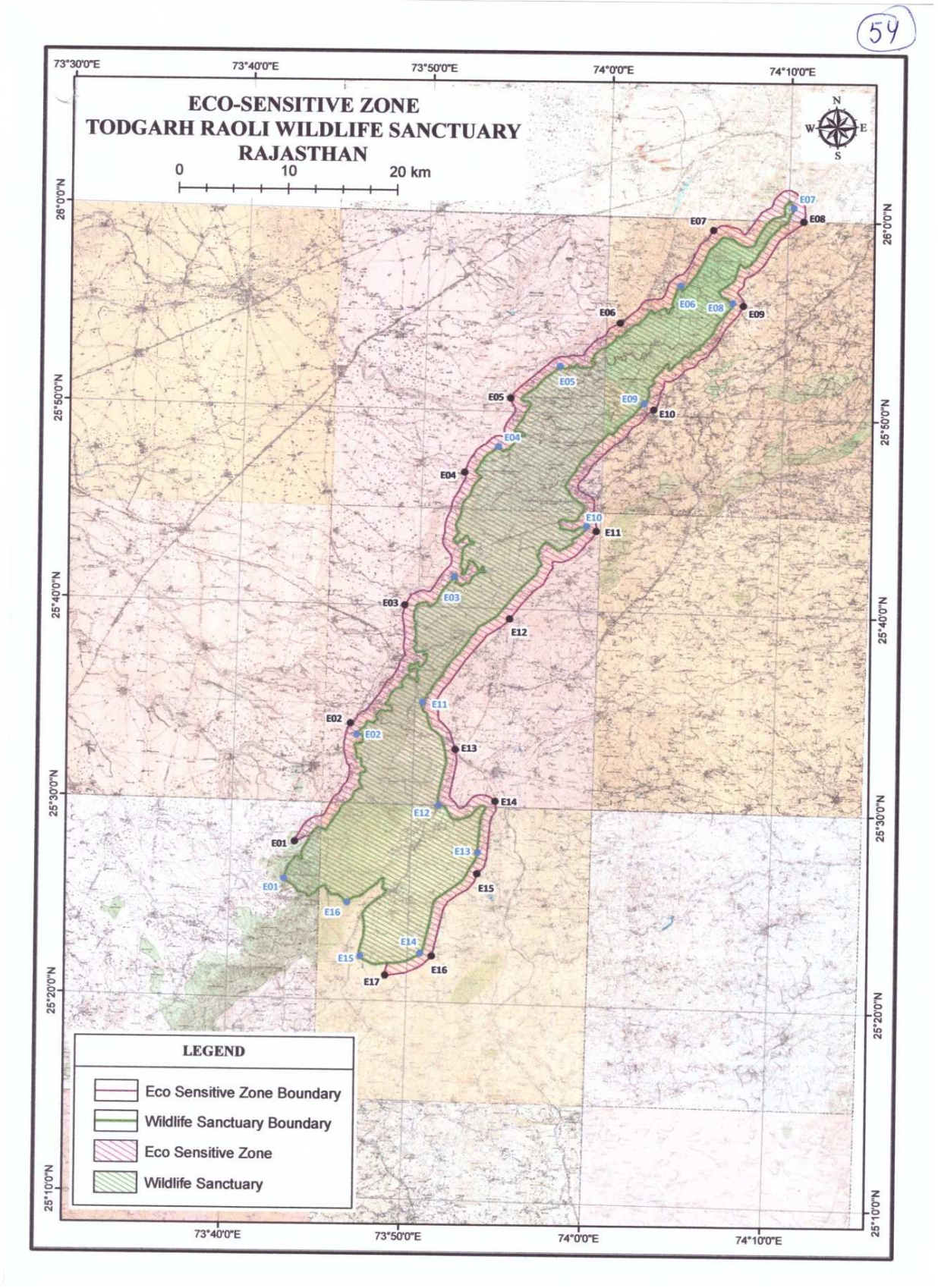

ANNEXURE-III A

GPS COORDINATES OF POINTS ALONG THE BOUNDARY OF TODGARH RAOLI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO SENSITIVE ZONE

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Todgarh Roali Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Gps	Longitude	Latitude
1	E01	73˚ 43.008’ E	25˚26.053’ N
2	E02	73˚ 46.821’ E	25˚33.485’N
3	E03	73˚ 51.953’ E	25˚41.573’ N
4	E04	73˚ 54.206’ E	25˚48.199’ N
5	E05	73˚ 57.509’ E	25˚52.364’ N
6	E06	74˚ 4.086’ E	25˚56.596’ N
7	E07	74˚ 10.292’E	26˚0.676’ N
8	E08	74˚ 7.033’E	25˚55.787’N
9	E09	74˚ 2.234’E	25˚50.607’N
10	E10	73˚59.228’E	25˚44.290’N
11	E11	73˚50.411’E	25˚35.183’N
12	E12	73˚51.473’E	25˚30.001’N
13	E13	73˚51.473’E	25˚27.692’N
14	E14	73˚ 50.706’E	25˚22.462’N
15	E15	73˚47.385’E	25˚22.240’N
16	E16	73˚46.575’E	25˚24.952’N

ANNEXURE-III B

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Todgarh Roali Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Gps	Longitude	Latitude
1	E01	73˚ 43.547’ E	25˚27.983’ N
2	E02	73˚ 46.450’ E	25˚34.030’N
3	E03	73˚49.278’ E	25˚40.057’ N
4	E04	73˚ 52.358’ E	25˚46.855’ N
5	E05	73˚ 54.803’ E	25˚50.705’ N
6	E06	74˚ 0.765’ E	25˚54.629’ N
7	E07	74˚ 5.836’E	25˚59.452’ N
8	E08	74˚ 10.879’E	25˚59.988’N
9	E09	74˚ 7.611’E	25˚55.669’N
10	E10	74˚2.795’E	25˚50.310’N
11	E11	73˚59.786’E	25˚44.057’N
12	E12	73˚55.112’E	25˚39.519’N
13	E13	73˚52.320’E	25˚32.865’N
14	E14	73˚ 54.624’E	25˚30.304’N
15	E15	73˚53.751’E	25˚26.571’N
16	E16	73˚51.364’E	25˚22.348’N
17	E17	73˚48.802’E	25˚21.311’N

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF TODGARH RAOLI WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Name of Villages	S. No.	Name of Villages
1	Dhanawato ka Guda Nagvi	41	Dol ji ka khera
2	Barjaliya Guda	42	Jiran
3	Bhagawar	43	Solankiyon ka Guda
4	Borimada	44	Sansariyas
5	Rawato ka Guda	45	Mandawara
6	Mayala Guda	46	Bhagalpura
7	Radjaler	47	Kuwanthal
8	Uparli Nimbari	48	Meliyon ka khera
9	Nichali Nimbari	49	Pithakhera
10	Telpure	50	Chundi
11	Sinchiyawas	51	Tarka
12	Baraton ka Guda	52	Kalyanpura
13	Saran	53	Chokariya
14	Dhal (Phulad)	54	Jojawar
15	Gaga ka Guda II	55	Vayapari
16	Halawat	56	Sur singh ka Guda
17	Raji ka Guda	57	Kanteliya
18	Juni Phulad	58	Gopinath ka Guda
19	Ganwet	59	Khakhariya
20	Karwara	60	Kayawata
21	Basot	61	Samariya
22	Dhelpura	62	Kot Solankiyan
23	Bhagora	63	Nayagaon
24	Guda Bhopat	64	Kolar
25	Karmal	65	Panota
26	Bogala	66	Sansari I
27	Gaga ka Guda I	67	Sansari II
28	Soda ki Dhani	68	Baol
29	Digot	69	Maghathala
30	Vardiyamali	70	Sursingh ka Guda
31	Simal	71	Kamle
32	Nayi Phulad	72	Kamli
33	Siryari	73	Ashan
34	Jinjardi	74	Kamlighat
35	Jorkiya	75	Bhudwas
36	Mata ji ka Khera	76	Swadri
37	Omji ka Guda	77	Chitrai
38	Swadri B	78	Charda
39	Pitampura	79	Talwara
40	Virawas	80	Simar

S. No.	Name of Villages	S. No.	Name of Villages
81	Ragunathura	128	Thoiya
82	Tegi	129	Tadgarh
83	Suliya	130	Dudaliya
84	Ratna ka Guda	131	Malaton ki Ber
85	Tokara	132	Merdiya
86	Nanana	133	Bori
87	Tapalo ka khera	134	Rampura
88	Umraj	135	Beral
89	Bassi	136	Kalakheri
90	Gundliya	137	Chiriyabad
91	Narayan ji ka Bira	138	Jawaja
92	Bujarel	139	Shivnagar
93	Rodiyana	140	Devkhera
94	Negariya	141	Kheranabara
95	Sarwan	142	Khakhara
96	Ratnata Bhagwanpura	143	Samdariya
97	Satukhera	144	Rodawas
98	Baghmal	145	Junapiss (Dhakhi)
99	Bamanhera	146	Gajnal
100	Deval Fatehpur	147	Khiriya
101	Khormel	148	Kharni Khera
102	Mathuwara	149	Balaton ka talab
103	Halela	150	Hariyamali
104	Nardas ka Guda	151	Kerkhera
105	Biyana	152	Gudashyama
106	Degana	153	Gudachutara
107	Kishanpura	154	Baraguda
108	Dardarda	155	Guda Ram Singh
109	Mandawara	156	Hirawas
110	Chattarpura	157	Sampapa
111	Kachbali	158	Pipali bawari
112	Sirola	159	Palari
113	Pipali	160	Bin
114	Chela	161	Banjari
115	Motaguda	162	Mewasa
116	Bagana	163	Ganespura
117	Berjal	164	Dholadata
118	Bali	165	Bala Charahat
119	Lakhaguda	166	Gogela
120	Toriya	167	Luneta
121	Baggad	168	Bara Khera
122	Antaliya	169	Arnali
123	Kaniyana	170	Kankrod
124	Kherajassa	171	Barkhan
125	Tank ka Chora	172	Ashan
126	Juthara	173	Devlata
127	Dholiya	174	Bhagwanpura

S. No.	Name of Villages
175	Nimbarikhera
176	Naikala
177	Naikhurd
178	Puwariya
179	Kelwas
180	Kanakhejari
181	Kanota ka ber
182	Gurjargma
183	Nada
184	Dharamtalai
185	Kundal
186	Kadiappa
194	Lamburi
195	Hikkan (Kalaliya)
196	Hikkan ka Bariya
197	Kalaliya
198	Kahanpath
199	Bagri
200	Belpana
201	Sirma
202	Kot
203	Sohbhagpura
204	Goval
205	Chokari
206	Devaji ka guda
207	Jawaliya
208	Nath ji ka guda
209	Naval ji ka guda
210	Dewaro ka guda
211	Kitela
212	Kankariya
213	Khera
214	Bansa
215	Guda Bhadawtan
216	Boriya nadi
217	Balupura

Annexure V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006
   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.20 13:27:35 +05'30'